JAIPUR METRO

जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड

खनिज भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर – 302015

दूरभाष 0141–5192407

प्रेस रिलीज **दिनांकः** 24.06.2016

1 जुलाई से मेट्रो रेलवे स्टेशनों पर वाहन पार्किंग का नया ठेका

गत एक वर्ष के मेट्रो संचालन के दौरान वाहन पार्किंग की मांग एवं आवश्यकता तथा मल्टी मॉडल ट्रेफिक इन्टीग्रेशन के मध्यनजर जयपुर ट्रेफिक कन्ट्रोल बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय की पालना में न्यू आतिश मार्केट स्टेशन के गेट नं. 1 का पूरा 2500 वर्गमीटर एवं गेट नं. 2 का 3750 वर्गमीटर एरिया क्रमशः राजस्थान रोड़वेज की नगरीय/उपनगरीय बसों के टर्मिनल/संचालन के लिए एवं राजस्थान लोक परिवहन सेवा की बसों के लिए, विवेक विहार स्टेशन के गेट नं. 1 का पूरा 3800 वर्गमीटर एरिया एवं रामनगर स्टेशन के गेट नं. 1 का पूरा 1950 वर्गमीटर एरिया परिवहन विभाग से अनुमोदित कान्ट्रेक्ट कैरिज बसों के संचालन के लिए आरक्षित करने के बाद मेट्रो प्रशासन ने बकाया 10730 वर्गमीटर पार्किंग एरिया को सभी 9 मेट्रो स्टेशनों यथा मानसरोवर, न्यू आतिश मार्केट, विवेक विहार, श्याम नगर, रामनगर, सिविल लाईन्स, रेलवे स्टेशन, सिंधी कैंप एवं चांदपोल पर आगामी एक जुलाई से एक वर्ष के लिए नया वाहन पार्किंग का ठेका आदेश जारी किया।

जयपुर मेट्रो सीएमडी अश्विनी भगत ने बताया कि सभी 9 मेट्रो स्टेशनो पर निर्मित वाहन पार्किंग प्लाटों का ठेका खुली निविदा प्रक्रिया के तहत एक वर्ष के लिए अनुमानित लाईसेंस फीस रूपया 21.60 लाख से 10.5 प्रतिशत अधिक दर यानि कुल रूपये 23.87 लाख लाईसेंस फीस पर मैसर्स श्री करणी ट्रेडिंग कम्पनी जयपुर को आवंटित किया गया। इस नये वाहन पार्किंग ठेके में मेट्रो यात्रियों की साईकिल/ दो पहिया/ चार पहिया कार आदि वाहनों की पार्किंग के बाद शेष खाली जगह पर मेट्रो फीडर सेवा एवं अन्य चार पहिया यात्री वाहनों को भी निर्धारित दरों पर पार्किंग की अनुमति का प्रावधान किया गया है।

जयपुर मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध पार्किंग एरिया निम्नानुसार हैः–

स्टेशन	**उपलब्ध पार्किंग एरिया (वर्गमीटर)**	
	उत्तर दिशा	**दक्षिण दिशा**
मानसरोवर	3000	–
न्यू आतिश मार्केट	–	1500
विवेक विहार	–	1085
श्याम नगर	–	130
रामनगर	–	1000
सिविल लाईंस	–	1035
रेलवे स्टेशन	1622	–
सिंधी कैंप	300	–
चांदपोल	1058	–
कुल	**5980**	**4750**

सीएमडी भगत के अनुसार जयपुर मेट्रो का संचालन सुबह 6:25 से रात्रि 9:45 तक करीब 16 घंटे तक है, अतः 16 घंटे से अधिक समय तक पार्किगं में वाहन रखने पर ज्यादा दरें रखी गई है। मेट्रो पार्किगं की स्वीकृत दरें निम्नानुसार हैः–

अधिकृत वाहन	8 घंटे तक	8–16 घंटे	16–24 घंटे	मासिक
साईकिल	2 रूपये	3 रूपये	5 रूपये	60 रूपये
स्कूटर/मोटर साईकिल/मोपेड	5 रूपये	10 रूपये	20 रूपये	150 रूपये
कार/जीप/एसयूवी/टैक्सी/ई–रिक्शा/ऑटो रिक्शा	15 रूपये	30 रूपये	60 रूपये	450 रूपये
बस	150 रूपये	300 रूपये	450 रूपये	4500 रूपये
हैलमेट दर	2 रूपये	2 रूपये	2 रूपये	–

वाहन पार्किगं प्लाटों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाये गये है तथा विशेष योग्यजनों के वाहनों को खड़ा करने हेतु भी अलग से प्रावधान किया गया है। 24 घंटे से अधिक समय तक भी वाहनों को नहीं उठाने पर पैनल दरें प्रभावी होगी। अनुमोदित वाहनों के अलावा अन्य कोई वाहन की पार्किगं स्वीकार्य नहीं है।

वाहन की पार्किगं स्लीप खोने पर दावाकर्ता को वाहन आर.सी. की प्रति, वाहन चालक लाईसेंस एवं घर के पते के प्रूफ की प्रति एवं मोबाईल/फोन नं. तथा 50/– रूपये की पेनल्टी के साथ वाहन लौटाया जा सकेगा। पार्किगं एरिया में वाहनों की सुरक्षा एवं संरक्षा की पूर्ण जवाबदेही पार्किगं ठेकेदार की होगी।

जनसम्पर्क अधिकारी